



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक भीलवाडा आगार, नेहरु रोड-भीलवाडा-311001 (राज.)
Email : rsrtc.cmbhl@gmail.com & cmbhl.rsrtc@rajasthan.gov.in
Phone No : 01482-297290

क्रमांक/मु.प्र./भील./लेखा/25/4348

दिनांक :- 3/02/25

भीलवाडा आगार अधीन निम्नलिखित स्थानों पर बुकिंग एजेन्सी आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।
जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित है।


क्र.स	बुकिंग स्टैण्ड का नाम	पारी
01	जहाजपुर स्टैण्ड	प्रथम पारी
02	जहाजपुर स्टैण्ड	द्वितीय पारी
03	मान्डलगढ स्टैण्ड	प्रथम पारी
04	मान्डलगढ स्टैण्ड	द्वितीय पारी
05	लाडपुरा चौराहा	प्रथम पारी
06	लाडपुरा चौराहा	द्वितीय पारी
07	त्रिवेणी स्टैण्ड	प्रथम पारी
08	त्रिवेणी स्टैण्ड	द्वितीय पारी
09	आरोली स्टैण्ड	प्रथम पारी
10	आरोली स्टैण्ड	द्वितीय पारी
11	सलावटिया स्टैण्ड	प्रथम पारी
12	सलावटिया स्टैण्ड	द्वितीय पारी
13	बनेडा स्टैण्ड	प्रथम पारी
14	बनेडा स्टैण्ड	द्वितीय पारी
15	सवाईपुर स्टैण्ड	प्रथम पारी
16	सवाईपुर स्टैण्ड	द्वितीय पारी
17	विजयनगर(27मील) स्टैण्ड	सामान्य पारी
18	29 मील गुलाबपुरा स्टैण्ड	द्वितीय पारी
19	बिजौलिया बस स्टैण्ड(बिजौलिया बून्दी)	सामान्य पारी
20	शाहपुरा बस स्टैण्ड	सामान्य पारी
21	हमीरगढ	सामान्य पारी

बुकिंग हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20.02.2025 को 15:00 बजे तक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन पत्र उसी दिन आगारीय कमेटी के माध्यम से खाले जावेंगे। उपरोक्त स्थानों पर बुकिंग एजेन्सी आवंटन हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. निगम नियमानुसार बुकिंग एजेन्सी हेतु अधिकतम कमीशन दर 4 प्रतिशत रहेगी, प्रमिस्पर्धात्मक दरे प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को बुकिंग एजेन्सी आगामी 12 माह के लिए आवंटित की जावेगी, जिसे कार्यसतोषप्रद होने पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20.02.2025 तक इस कार्यालय से 200रुपये+18प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी निविदा शुल्क जमा कराकर निविदा फार्म

प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फार्म जमा कराने से पूर्व 15000रूपये की धरोहर राशि नकद/डी.डी. के माध्यम से निगम कार्यालय में जमा करानी होगी अन्यथा निविदा में आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। समस्त इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा:- पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चरित्र प्रमाण पत्र, नवीनतम पुलिस वेरीफिकेशन, तथा अनुबन्ध पत्र होने की स्थिति में 500रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र नवीनतम जमा कराना अनिवार्य होगा।


2. बुकिंग एजेन्टों के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने अथवा निगम नियम विरुद्ध किसी भी प्रकार का गलत आचरण पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
3. बुकिंग एजेन्टों को एजेन्सी आवंटन होने पर आदेश जारी होने के 03 दिवस में 20000रूपये ईटीआईएम राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।
4. बुकिंग एजेन्सी हेतु दस्तावेज व नियम शर्तों की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के नियम व शर्तें निविदा का भाग होगी।


मुख्य प्रबंधक
भीलवाड़ा आगार

दिनांक :-

क्रमांक/मु.प्र./भील./25/
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान उपमहाप्रबंधक(आईटी) रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर।
2. श्रीमान कार्यकारी प्रबंधक(जनसम्पर्क) रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर से निवेदन है कि संलग्नानुसार निविदा समाचार पत्रों दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका/लोक जीवन में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
3. श्रीमान कार्यकारी प्रबंधक(विज्ञापन) मुख्यालय जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली


मुख्य प्रबंधक
भीलवाड़ा आगार
o/c